फा0सं0: आ0आ0(छूट)/लख0/80जी/2016-17/41/1228/2177 दिनांक :- 17.06.2016

प्रतिलिपि प्रेषित-

1. आयकर अपर/संयुक्त आयुक्त (छूट), रैंज लखनऊ।

2. आयकर उप/सहायक आयुक्त (छूट), सर्किल लखनऊ।

3. आयकर अधिकारी(छूट), लखनऊ को इस आशय के साथ कि संस्था/न्यास को धारा 80जी के अन्तर्गत अनुमोदन मात्र ही संस्था/न्यास का धारा 80जी के लिए पर्याप्त नहीं है। संस्था/न्यास द्वारा दाखिल विवरणी तथा अन्य प्रपत्रों के आधार पर ही निर्धारण अधिकारी को इस परिणाम पर पहुंचना है कि संस्था/न्यास कटौती के लिए वांछित सभी शर्तों को पूरा करती है अथवा नहीं, यदि संस्था/न्यास भविष्य में कभी भी आयकर अधिनियम,1961 की धारा 80जी तक निहित सभी वांछित शर्तों को पूर्ण नहीं करती है तो इसे कटौती उपलब्ध नहीं होगी तथा धारा 80जी के अन्तर्गत उसका अनुमोदन रद्द करने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

4.आवेदक।

(विनय कुमार श्रीवास्तव)
आयकर अधिकारी(मु0)
कार्यालय आयकर आयुक्त(छूट),
लखनऊ।

कार्यालय
आयकर आयुक्त (छूट)
यू.पी.कॉन्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0,
टी.सी.–46वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ – 226010

ट्रस्ट/संस्थान का नाम : ग्रामीण विकास सेवा समिति,

पता : भैसहिया, पो0– दधौरा (डिलिया), बस्ती–272001 (उ0प्र0)

पैन : AAATG5248A

आदेश तिथि : 17.06.2016

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80G (5)(vi) के अन्तर्गत अनुमोदन

आयकर अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत उपरोक्त ट्रस्ट का पंजीकरण दिनांक 01.04.2004 की प्रभावी तिथि से पंजीकरण संख्या (यू0आर0एन0) 58/03–04 के अन्तर्गत दिनांक 30.04.2004 को विद्वान आयकर आयुक्त, फैजाबाद के आदेश द्वारा किया गया है। उपरोक्त ट्रस्ट का पंजीकरण आयकर अधिनियम की धारा 80 जी के अन्तर्गत दिनांक 17.06.2016 की प्रभावी तिथि से आयकर आयुक्त (छूट), लखनऊ के आदेश द्वारा किया जाता है। यह प्रमाणित किया जाता है कि **ग्रामीण विकास सेवा समिति, भैसहिया, पो0– दधौरा (डिलिया), बस्ती–272001 (उ0प्र0)** को दिया गया दान आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80G (5)(vi) में दिये गये शर्तों को पूरा करने पर आयकर अधिनियम 1961 की 80G (V) के अन्तर्गत कटौती के लिए योग्य होगा।

2. यह अनुमोदन दिनांक 17.06.2016 की प्रभावी तिथि से लगातार उस अवधि तक वैध माना जाएगा जब तक विशेष रूप से इसे वापस न ले लिया जाए।

(i) जिस निर्धारण अधिकारी के क्षेत्राधिकार में यह ट्रस्ट/संस्थान का केस आता है, उसके कार्यालय में आय एवं व्यय खाता, प्राप्ति रसीद एवं भुगतान का विवरण तथा तुलनपत्र (बैलेंस सीट) सहित आई.टी.आर.–7 में आयकर विवरणी प्रत्येक वर्ष दाखिल की जानी होगी।

(ii) आधोहस्ताक्षरी आयकर आयुक्त (छूट), लखनऊ के पूर्व अनुमोदन के बिना ट्रस्ट डीड/प्रलेख (Memorandum of Association) में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

(iii) दानदाता को जारी की गई प्रत्येक रसीद में विशिष्ट पंजीकरण संख्या (यू.आर.एन.) एवं आदेश की तिथि अवश्य अंकित की जानी होगी। धारा 80G (V)(vi) के प्रावधानों के अन्तर्गत 12ए, धारा 12ए(I)(बी) में पंजीकृत अथवा धारा 10(23C), 10(23C)(via) के अन्तर्गत अनुमोदित संस्थान/फंड, संस्थान में चलाई जा रही किसी भी व्यापारिक गतिविधि से संबंधित खाता बही का अलग से रख–रखाव करेंगे तथा ऐसी गतिविधि को आरंभ करने से संबंधित सूचना इस कार्यालय को एक माह भीतर अवश्य की जाएगी।

ह०
(पी0के0 बजाज)
आयकर आयुक्त (छूट),
लखनऊ।